

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य

यादी क्रमांक: 13/9-2016 C-III (2)

दिनांक: पंचकूला, 25-11-2016

विषय:-

हरियाणा सरकार के सेवारत/पेंशनर्स तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा जब भी किसी कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल निदेशालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी निदेशालय को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भेजा जाए तो उससे पूर्व अपने स्तर पर निम्नानुसार बिल चैक करके भेजें :-

1. सरकार द्वारा निर्धारित ई0सी0 पर चिकित्सा अधीक्षक अथवा इलाजकर्ता चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर ई0सी0 पूर्ण करके भेजा जाए।
2. अनअप्रूवड हस्पताल में करवाए इलाज हेतू सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण पत्र साथ भेजा जाए।
3. सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण पत्र में इलाज की अवधि नहीं दर्शाई जाती, वह अवश्य दर्शाई जाए।
4. आपातकालीन प्रमाण पत्र पर सिविल सर्जन की स्टैम्प लगवाकर भेजा जाए।
5. ई0सी0 पर क्लेमैन्ट के हस्ताक्षर करवाकर भेजा जाए।
6. अधिकारी/कर्मचारी की ई0सी0 प्रोफार्मा पर वेतन के कालम में Basic pay + grade pay भरकर भेजें।
7. डिस्चार्ज समरी व चिकित्सा बिल की डिटेल् साथ भेजी जाए।
8. सभी बिल दोहरी प्रति में होने चाहिए।
9. शपथ-पत्र भेजा जाए कि उसके/उसकी पति/पत्नी की मासिक आय क्या है तथा वह किसी अन्य राज्य व भारत सरकार की पेंशनर नहीं है। प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र दिया जाए कि उन्होंने उक्त क्लेम किसी बीमा कम्पनी से नहीं लिया है तथा उक्त क्लेम में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. क्या यह चिकित्सा बिल समय अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया था टाईमबार्ड तो नहीं है इसका डायरी नं0 व दिनांक, डायरी रजिस्टर की अटैस्टिड फोटोप्रति भेजी जाए।
11. पेंशन से संबंधित दस्तावेज की प्रति साथ सलंगन करके भेजी जाए। (attested copy of PPO No.)
12. राशन कार्ड तथा कर्मचारी के employee card की सत्यापित फोटोप्रति साथ सलंगन करके भेजी जाए ताकि कर्मचारी के आश्रितों की सूची पता चल सके।
13. सरकार की हिदायतें क्रमांक 2/24/13-IHBIII दिनांक 16.09.2016 अनुसार Head of Office को 3,00,000/- तक की स्वीकृतियां जारी करने के लिए स्वयं सक्षम है।
14. Stent/Implant के sticker भेजें तथा वह कौन सी कैटेगरी में आता है।
15. सभी बिल/दस्तावेज प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/अटैस्टिड होने अनिवार्य हैं।

25/11/16

अधीक्षक सी-III

कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

2

25/11/16